GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, CHANDIGARH
(Hospital Building), Sector 32-B, Chandigarh-160030 (Ph 0172-2665253-59, Fax: 0172-2608488)
(ESTABLISHMENT BRANCH-IV)

14133-34

Endst. No.: GMCH/EIV/EA3(24/1)2016/ 13 MAY 2016

Dated, Chandigarh the,

A copy of letter No. 444/(GOI)-HIII(4)-2016/8901 dated 11.04.2016 alongwith encloures received from the Home Department, Chandigarh Administration, is forwarded to the followings for information & necessary action :

1. The Office Superintendent (Estt. I,II,III, HA-I & HA-II), GMCH, Chandigarh.
2. The System Analyst, IT Centre, GMCH with a request to e-circulate/email the same to the following :-
   i) PA to DP for kind information of Director Principal, GMCH.
   ii) PA to ADA for kind information of Additional Director Admn., GMCH.
   iii) PA to MS for kind information of Medical Superintendent, GMCH.
   iv) The Joint Medical Superintendent, GMCH, Chandigarh.
   v) The Deputy Medical Superintendent (HA), GMCH, Chandigarh.

03-05-16

Superintendent (Est.-IV)
GMCH, Chandigarh.

2572

Superintendent Home III
For Home Secretary,
Chandigarh Administration

727/28/4/16

No.444 (GOI)-HIII(4)-2016/ 8901
CHANDIGARH ADMINISTRATION
HOME DEPARTMENT

Chandigarh, dated the 11/4/16

9073
25 APR 2016

OSF IV
AP
29.4.16

To

All Administrative Secretaries,
All Head of Departments/Boards/Corporations
of Chandigarh Administration.

Subject: **Strict compliance of the Orders Relating to the National Anthem of India-reg.**

DP/GMCH-32

Enclosed please find herewith a copy of letter No.15/3/2016-Public dated 11.03.2016 alongwith its enclosures, received from Director to the Govt. of India, Ministry of Home Affair, North Block, New Delhi, which is self explanatory, for immediate strict compliance.

Superintendent Home III
For Home Secretary,
Chandigarh Administration

Endst. No. 444(GOI)-2016/ 8902 Dated the, 11/4/16

A copy alongwith a copy of letter No.15/3/2016-Public dated 11.03.2016, received from the Director to the Govt. of India, Ministry of Home Affair, North Block, New Delhi, is forwarded to the Comptroller Raj Bhawan, Punjab, Chandigarh for information.

Superintendent Home III
For Home Secretary,
Chandigarh Administration

Endst. No. 444(GOI)-2016/ 8903 Dated the, 11/4/16

A copy alongwith a copy of letter No.15/3/2016-Public dated 11.03.2016, received from the Director to the Govt. of India, Ministry of Home Affair, North Block, New Delhi, is forwarded to the Registrar, Punjab & Haryana High Court, Chandigarh for information.

Superintendent Home III
For Home Secretary,
Chandigarh Administration

Endst. No. 444(GOI)-2016/ 8904 Dated the, 11/4/16

A copy alongwith a copy of letter No.15/3/2016-Public dated 11.03.2016, received from the Director to the Govt. of India, Ministry of Home Affair, North Block, New Delhi, is forwarded to the Hon'ble Member of Parliament, # 65, Sector-8, Chandigarh for information

Superintendent Home III
For Home Secretary,
Chandigarh Administration

No. 15/3/2016-Public
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/ Grih Mantralaya

PA-SSH/ 298
Dated 23-3-16

North Block, New Delhi,
Dated the 11 March, 2016.

To

The Chief Secretaries/ Administrators of
All State Governments/ UT Administrations,
Secretaries of all Ministries/ Departments of Govt. of India.

Subject: - Strict compliance of the Orders Relating to the National Anthem of India-reg.

Sir/Madam,

I am directed to say that complaints are being received by this Ministry from various quarters about the insult or disrespect to the National Anthem of India. The orders Relating to the National Anthem are available on this Ministry's website www.mha.nic.in. A copy of Orders Relating to the National Anthem is enclosed herewith for strict compliance.

2. It is also requested that suitable instructions in this regard may please be issued to all concerned agencies.

Encls : As above.

Yours faithfully,

(Anuj Sharma)
Director to the Govt. of India
Tel. No. 2309 2436

Copy to:-

1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice-President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Office of all Governors.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
10. All High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 20 Spare copies.

ORDERS RELATING TO THE NATIONAL ANTHEM OF INDIA

The National Anthem of India is played or sung on various occasions. Instructions have been issued from time to time about the correct versions of the Anthem, the occasions on which these are to be played or sung, and about the need for paying respect to the anthem by observance of proper decorum on such occasions. The substance of these instructions has been embodied in this information sheet for general information and guidance.

1. THE NATIONAL ANTHEM - FULL AND SHORT VERSIONS

(1) The composition consisting of the words and music of the first stanza of the late poet Rabindra Nath Tagore's song known as "Jana Gana Mana" is the National Anthem of India. It reads as follows: -

Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he
    Bharata-bhagya-vidhata
Panjaba-Sindhu-Gujarata-Maratha
    Dravida-Utkala-Banga
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga
    uchchala-jaladhi-taranga
Tava Subha name jage, tave subha asisa mage,
    gahe tava jaya-gatha.
Jana-gana-mangala-dayaka jaya he
    Bharata-bhagya-vidhata.
Jaya he, Jaya he, Jaya he,
    jaya jaya jaya jaya he.

The above is the full version of the Anthem and its playing time is approximately 52 seconds.

(2) A short version consisting of the first and last lines of the National Anthem is also played on certain occasions. It reads as follows:

Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he
    Bharata-bhagya-vidhata.
Jaya he, jaya he, jaya he,
    Jaya jaya jaya jaya he.

Playing time of the short version is about 20 seconds.

(3) The occasions on which the full versions or the short version will be played have been indicated at the appropriate places in these instructions.

II. PLAYING OF THE ANTHEM

(1) The full version of the Anthem shall be played on the following occasions: -

i) Civil and Military investitures;

ii) When National Salute (which means the Command "Rashtriya Salute – Salami Shastr" to the accompaniment of the National Anthem is given on ceremonial occasions to the President or to the Governor/Lieutenant Governor within their respective States/ Union Territories;

iii) During parades – irrespective of whether any of the dignitaries referred to in (ii) above is present or not;

iv) On arrival of the President at formal State functions and other functions organized by the Government and mass functions and on his departure from such functions;

v) Immediately before and after the President addresses the Nation over All India Radio;

vi) On arrival of the Governor/Lieutenant Governor at formal State functions within his State/Union Territory and on his departure from such functions;

vii) When the National Flag is brought on parade;

viii) When the Regimental Colours are presented;

ix) For hoisting of colours in the Navy.

(2) The short version of the Anthem shall be played when drinking toasts in Messes.

(3) The Anthem shall be played on any other occasion for which special orders have been issued by the Government of India.

(4) Normally the Anthem will not be played for the Prime Minister, thoug there may be special occasions when it may be played.

(5) When the National Anthem is played by a band, the Anthem will be preceded by a roll of drums to assist the audience to know that the National Anthem is going to be played, unless there is some other specific indication that the National Anthem is about to be played, as for example, when fanfares are sounded before the National Anthem is played, or when toasts are drunk to the accompaniment of the National Anthem or when the National Anthem constitutes the National Salute given by a Guard of Honour. The duration of the roll, in terms of marching drill, will be 7 paces in slow march. The roll will start slowly, ascend to as loud a volume as possible and then gradually decreases to original softness, but remaining audible until the seventh beat. One beat rest will then be observed before commencing the National Anthem.

III. MASS SINGING OF THE ANTHEM

(1) The full version of the Anthem shall be played accompanied by mass singing on the following occasions: -

(i) On the unfurling of the National Flag, on cultural occasions or ceremonial functions other than parades. (This could be arranged by having a choir or adequate size, suitably stationed, which would be trained to coordinate its singing with the band etc. There should be an adequate public audition system so that the gathering in various enclosures can sing in unison with the choir);

(ii) On arrival of the President at any Government or Public function (but excluding formal State functions and mess functions) and also immediately before his departure from such functions.

(2) On all occasions when the National Anthem is sung, the full version shall be recited accompanied by mass singing.

(3) The Anthem may be sung on occasions which, although not strictly ceremonial, are nevertheless invested with significance because of the presence of Ministers etc. The singing of the Anthem on such occasions (with or without the accompaniment of an instruments) accompanied by mass singing is desirable.

(5

(4) It is not possible to give an exhaustive list of occasions on which the singing (as distinct from playing) of the Anthem can be permitted. But there is no objection to the singing of the Anthem accompanied by mass singing so long as it is done with due respect as a salutation to the motherland and proper decorum is maintained.

(5) In all schools, the day's work may begin with community singing of the Anthem. School authorities should make adequate provision in their programmes for popularising the singing of the Anthem and promoting respect for the National Flag among students.

IV. PLAYING OF FOREIGN ANTHEMS

(1) At receptions to foreign dignitaries in India at which the giving of National Salute has been prescribed, full version of the National Anthem of the visiting dignitary's country should be played first, followed by the full version of the National Anthem of India.

(2) At dramatic, film or other cultural festivals organised by a diplomatic or consular representative of a foreign country in India, the National Anthem of the foreign country concerned may be played with the National Anthem of India. The foreign Anthem should be played first followed immediately by the Indian Anthem.

(3) At functions arranged by foreign Missions for celebrating their National Days, the National Anthem of the country holding the function may be played or sung. On theses occasions if the President of India is represented by a Chief Guest not below the rank of a Cabinet Minister of the Central Government or by the Lieutenant Governor of Delhi (if the function is held in Delhi) the National Anthem of India may be played first followed by the playing of the National Anthem of the country hosting the function. This procedure will also be followed if the function includes proposing of the toasts to Heads of States i.e. the Indian Anthem should be played immediately after the toast has been proposed to the President of India and the National Anthem of the foreign country should be played immediately after the toast to Head of that country is proposed. In case National Anthem of India and of the country hosting the function have been played at the beginning of the function, there will be no need to play the Anthem of either or both the countries if any toasts are proposed.

5

Note: When the National Anthem is required to be played immediately before or after the National Anthem of a foreign country, as laid down in Section IV above, there should be no simultaneous singing of the National Anthem. However, mass singing of the National Anthem should be required when it is played immediately before or after the Anthem of another country in the event that the visiting dignitary and his delegation are singing their own National Anthem.

V. GENERAL

(1) Whenever the Anthem is sung or played, the audience shall stand to attention. However, when in the course of a newsreel or documentary the Anthem is played as a part of the film, it is not expected of the audience to stand as standing is bound to interrupt the exhibition of the film and would create disorder and confusion rather than add to the dignity of the Anthem.

(2) As in the case of the flying of the National Flag, it has been left to the good sense of the people not to indulge in indiscriminate singing or playing of the Anthem.

****

Ministry of Home Affairs
Public Section

संख्या 15/3/2016-पब्लिक
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
...

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 11 मार्च, 2016

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारत के राष्ट्रगान से संबंधित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने - के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय में भारत के राष्ट्र गान के अपमान अथवा असम्मान के बारे में विभिन्न वर्गों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राष्ट्र गान से संबंधित आदेश इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर उपलब्ध हैं। राष्ट्र गान से संबंधित आदेश की एक प्रति कड़ाई से अनुपालनार्थ पत्र के साथ संलग्न है ।

2. आपसे यह भी अनुरोध है कि कृपया सभी संबंधित एजेंसियों को इस संबंध में समुचित अनुदेश जारी किए जाएं ।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(अनुज शर्मा)
निदेशक, भारत सरकार
दूरभाष : 2309 2436

प्रति प्रेषित:-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
10. सभी उच्च न्यायालय ।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली ।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
16. 20 अतिरिक्त प्रतियां।

भारत के राष्ट्र गान के संबंध में आदेश

भारत का राष्ट्र गान विभिन्न अवसरों पर गाया अथवा बजाया जाता है । राष्ट्र गान के सही रूप, वे अवसर जिस पर राष्ट्र गान गाया अथवा बजाया जाय तथा ऐसे अवसरों पर उचित शिष्टता का पालन करके राष्ट्र गान का सम्मान करने की आवश्यकता के संबंध में समय समय पर अनुदेश जारी किये गये हैं । इस पुस्तिका में जनसाधारण की सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए इन अनुदेशों का सार दिया जा रहा है ।

I - राष्ट्र गान : पूर्ण तथा संक्षिप्त रूप

(1) स्वर्गीय कवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर के जन गण मन नामक गीत के प्रथम पद के शब्द तथा उनके संगीत-विन्यास से बनी रचना भारत का राष्ट्र गान है । इस का पाठ इस प्रकार है :-

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
        भारत भाग्य विधाता ।
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा
        द्राविड़-उत्कल-बंग
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा
        उच्छल जलधि तरंग
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे
        गाहे तव जय-गाथा ।
जन-गण-मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे ।

उपर्युक्त पाठ राष्ट्र गान का पूर्ण रूप है और इसे गाने अथवा बजाने में लगभग 52 सेकिण्ड का समय लगना चाहिए ।

(2) कुछ अवसरों पर राष्ट्र गान की पहली तथा अंतिम पंक्तियों का संक्षिप्त पाठ भी गाया अथवा बजाया जाता है । इसका पाठ इस प्रकार है :-

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
        भारत-भाग्य विधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे ।।

संक्षिप्त पाठ को गाने अथवा बजाने में लगभग 20 सैकिंड का समय लगना चाहिए ।

(3) जिन अवसरों पर राष्ट्र गान का पूर्ण अथवा संक्षिप्त पाठ गाया जायेगा उनका संकेत इन अनुदेशों में समुचित स्थलों पर कर दिया गया है ।

संख्या 15/3/2016 पब्लिक

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

...

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 11 मार्च, 2016

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/

सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारत के राष्ट्रगान से संबंधित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने - के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय में भारत के राष्ट्र गान के अपमान अथवा असम्मान के बारे में विभिन्न वर्गों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राष्ट्र गान से संबंधित आदेश इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर उपलब्ध हैं। राष्ट्र गान से संबंधित आदेश की एक प्रति कड़ाई से अनुपालनार्थ पत्र के साथ संलग्न है ।

2. आपसे यह भी अनुरोध है कि कृपया सभी संबंधित एजेंसियों को इस संबंध में समुचित अनुदेश जारी किए जाएं ।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय,

(अनुज शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

दूरभाष : 2309 2436

प्रति प्रेषित:-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
10. सभी उच्च न्यायालय ।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली ।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
16. 20 अतिरिक्त प्रतियां।

6

भारत के राष्ट्र गान के संबंध में आदेश

भारत का राष्ट्र गान विभिन्न अवसरों पर गाया अथवा बजाया जाता है । राष्ट्र गान के सही रूप, वे अवसर जिन पर राष्ट्र गान गाया अथवा बजाया जाय तथा ऐसे अवसरों पर उचित शिष्टता का पालन करके राष्ट्र गान का सम्मान करने की आवश्यकता के संबंध में समय समय पर अनुदेश जारी किये गये हैं । इस पुस्तिका में जनसाधारण की सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए इन अनुदेशों का सार दिया जा रहा है ।

I - राष्ट्र गान : पूर्ण तथा संक्षिप्त रूप

(1) स्वर्गीय कवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर के जन गण मन नामक गीत के प्रथम पद के शब्द तथा उनके संगीत-विन्यास से बनी रचना भारत का राष्ट्र गान है । इस का पाठ इस प्रकार है :-

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
　　　　भारत भाग्य विधाता ।
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा
　　　　द्राविड़-उत्कल-बंग
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा
　　　　उच्छल जलधि तरंग
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे
　　　　गाहे तव जय-गाथा ।
जन-गण-मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे ।

उपर्युक्त पाठ राष्ट्र गान का पूर्ण रूप है और इसे गाने अथवा बजाने में लगभग 52 सेकिण्ड का समय लगना चाहिए ।

(2) कुछ अवसरों पर राष्ट्र गान की पहली तथा अंतिम पंक्तियों का संक्षिप्त पाठ भी गाया अथवा बजाया जाता है । इसका पाठ इस प्रकार है :-

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
　　　　भारत-भाग्य विधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे ॥

संक्षिप्त पाठ को गाने अथवा बजाने में लगभग 20 सैकिंड का समय लगना चाहिए ।

(3) जिन अवसरों पर राष्ट्र गान का पूर्ण अथवा संक्षिप्त पाठ गाया जायेगा उनका संकेत इन अनुदेशों में समुचित स्थलों पर कर दिया गया है ।

III - राष्ट्र गान का सामूहिक रूप से गायन

1. निम्नलिखित अवसरों पर राष्ट्र गान के पूरे पाठ को बजाने के साथ साथ इसे सामूहिक रूप से गाया जायेगा :-

(क) परेडों को छोड़कर अन्य सांस्कृतिक अवसरों अथवा समारोहों पर राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने पर : (इसका आयोजन समुचित संख्या में गायकों की मंडली की उचित स्थान पर व्यवस्था करके किया जाएगा और इसे इसको बैंड आदि के ताल के साथ गाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा । जनता के इसे सुनने के लिए समुचित व्यवस्था, पर्याप्त यांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विभिन्न वार्डों (इन्क्लोजरों) में एकत्रित जनता इसे गायक मंडली के साथ स्वर में स्वर मिलाकर गा सके ।

(ख) किसी सरकारी अथवा सार्वजनिक समारोह में (परन्तु औपचारिक राज्य समारोहों तथा मेसों के समारोहों को छोड़कर) राष्ट्रपति के आने पर तथा ऐसे समारोहों से उनके जाने से तत्काल पहले भी ।

2. उन सभी अवसरों पर जब राष्ट्र गान को गाया जाता है इसे सामूहिक रूप से गाने के साथ इसका पूरा पाठ गाया जायेगा ।

3. उन अवसरों पर, जो पूरी तरह औपचारिक न होते हुए भी मंत्रियों आदि की उपस्थिति के कारण महत्वपूर्ण हैं, राष्ट्र गान गाया जा सकता है । ऐसे अवसरों पर किसी वाद्ययंत्र के साथ अथवा उसके बिना, राष्ट्र गान का, इसके सामूहिक रूप से गाये जाने के साथ साथ गाया जाना वांछनीय है ।

4. जिन अवसरों पर राष्ट्र गान के गायन की (गान को बजाने से भिन्न) अनुमति दी जा सकती है, उनकी संपूर्ण सूची देना संभव नहीं है किन्तु राष्ट्र गान को इसे सामूहिक रूप से गाये जाने के साथ-साथ गाये जाने में तब तक कोई आपत्ति नही है जब तक उसे मातृभूमि की वंदना के रूप में श्रद्धापूर्वक गाया जाए तथा गायन के समय उचित शिष्टता का पालन किया जाए ।

5. सभी विद्यालयों में दिन का कार्य राष्ट्र गान के सहगान से प्रारम्भ होना चाहिए । विद्यालयों के प्राधिकारियों को छात्रों में राष्ट्रीय झंडे के प्रति श्रद्धा बढ़ाने तथा राष्ट्रगान को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने कार्यक्रम में समुचित व्यवस्था करनी चाहिए ।

IV - विदेशों के राष्ट्रगानों का वादन

1. भारत में विदेशी पदाधिकारियों के जिन स्वागत समारोहों में राष्ट्रीय अभिनंदन करने का विधान है, उनमें आगंतुक विदेशी उच्च पदाधिकारियों के देश के राष्ट्र गान का पूर्ण पाठ पहले बजाया जाना चाहिए और उसके बाद भारत के राष्ट्र गान का पूर्ण पाठ ।

II – राष्ट्र गान का वादन

1. राष्ट्र गान का पूरा पाठ निम्नलिखित अवसरों पर बजाया जायेगा :-

(क) सिविल तथा सैनिक सम्मान समारोहों के अवसर पर ;

(ख) जब राष्ट्रीय सिलूट (जिसका तात्पर्य है राष्ट्रीय सलामी - सलामी शस्त्र का आदेश जो राष्ट्र गान के साथ ही दिया जाता है) समारोहों के अवसरों पर राष्ट्रपति को या अपने अपने राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों मे राज्यपाल और उप राज्यपाल को दिया जाता है ;

(ग) परेडों के समय चाहे उपर्युक्त (ख) में बताए गए गणमान्य व्यक्तियों में से कोई उपस्थित हो या न हो ;

(घ) औपचारिक राजकीय समारोहों तथा सरकार द्वारा आयोजित अन्य समारोहों और मेस समारोहों में राष्ट्रपति के आने पर तथा ऐसे समारोहों से उनके जाते समय ;

(ङ) आकाशवाणी से राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश प्रसारित किए जाने से ठीक पहले और बाद मे ;

(च) राज्यपाल / उपराज्यपाल के अपने राज्य / संघ शासित क्षेत्र मे औपचारिक राजकीय समारोहों मे आने पर और ऐसे समारोहो से उनके जाते समय ;

(छ) जब राष्ट्रीय झंडे को [illegible] मे लाया जाए ;

(ज) जब रेजीमेंट को निशान प्रस्तुत किए जाएं ;

(झ) नौ सेना मे ध्वजारोहण के समय ।

2. राष्ट्र गान का संक्षिप्त पाठ मेसों में किसी के सम्मान में पेय पान करते समय बजाया जायेगा ।

3. किसी भी ऐसे अन्य अवसर पर राष्ट्र गान बजाया जायेगा जिसके लिए भारत सरकार ने विशेष आदेश जारी किए हों ।

4. सामान्यतः प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्र गान नहीं बजाया जायेगा तथापित विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री के लिए भी इसे बजाया जा सकता है ।

5. जब बैंड के साथ राष्ट्रीय गान गाया जाए, तो श्रोताओं को यह ज्ञान कराने के लिए कि राष्ट्रीय गान प्रारम्भ होने वाली है, राष्ट्रीय गान शुरू होने से पहले मृदंग बजाए जाएंगे, जब तक कि ऐसा कोई अन्य विशिष्ट संकेत न हो कि राष्ट्रगान शुरू होने वाला है, उदाहरणार्थ, राष्ट्र गान शुरू होने से पहले बिगुल बजाए जाते हैं, अथवा जब कि राष्ट्र गान के साथ पेय पान किया जाता है अथवा जब राष्ट्र गान गार्ड आफ आनर द्वारा दी गई राष्ट्रीय सलामी के साथ होता है । मार्चिंग ड्रिल की भाषा में रोल की अवधि धीरे-धीरे मार्चिंग के 7 कदम होगी । रोल धीरे-धीरे आरंभ होगा, पूरी अवधि तक बढ़ता जाएगा और इसके पश्चात धीरे-धीरे कम होकर पूर्व स्थिति में आ जाएगा, किन्तु 7वीं धुन तक सुनाई देता रहेगा । इस प्रकार राष्ट्र गान के आरम्भ होने से पहले एक धुन का अन्तराल रहेगा ।

2. भारत स्थित किसी विदेशी राजदूत अथवा कान्सुल प्रतिनिधि द्वारा आयोजित नाटक, फिल्म अथवा सांस्कृतिक उत्सवों पर संबद्ध देश का राष्ट्र गान भारत के राष्ट्रगान के साथ बजाया जा सकता है। विदेशी राष्ट्र गान पहले बजाना चाहिए और उसके तत्काल बाद भारत का राष्ट्रगान।

3. विदेशी राजदूतावासों द्वारा उनके राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए आयोजित समारोहों में आयोजक देश का राष्ट्र गान बजाया या गाया जाए। इन अवसरों पर यदि भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व किसी ऐसे मुख्य अतिथि द्वारा किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्री के स्तर से नीचे के न हों अथवा समारोह दिल्ली में होने की स्थिति में यदि प्रतिनिधित्व दिल्ली के उप राज्यपाल द्वारा किया जाता है तो भारत का राष्ट्र गान पहले बजाया जाएगा और इसके तुरन्त बाद आयोजक राष्ट्र का राष्ट्र गान बजाया जायेगा। यह प्रक्रिया उन समारोहों के अवसर पर भी अपनाई जाएगी जिसमें राज्याध्यक्षों को ( ) प्रस्तावित करना हो अर्थात भारत का राष्ट्र गान भारत के राष्ट्रपति को टोस्ट प्रस्तावित करने के तुरन्त बाद बजाया जाएगा और विदेशी देश का राष्ट्र गान उक्त देश के राज्याध्यक्ष को टोस्ट प्रस्तावित करने के तुरन्त बाद बजाया जाएगा। अगर समारोह के प्रारम्भ में भारत और आयोजक देश के राष्ट्र गान बजाए जा चुके हैं तो किसी प्रकार के टोस्ट प्रस्तावित करने की स्थिति मे किसी एक अथवा दोनो देशों के राष्ट्र गान बजाने की आवश्यकता नहीं है।

"नोट" विदेशी राष्ट्र गान के ठीक पहले या बाद में जब राष्ट्र गान बजाया जाना अपेक्षित हो जैसा कि उपर्युक्त भाग IV में निर्धारित है, तो राष्ट्र गान साथ साथ नहीं गाया जाना चाहिए। यदि देशों में आने वाले गणमान्य व्यक्ति और उसका शिष्ट मंडल अपना राष्ट्र गान गा रहे हों तथा राष्ट्र गान दूसरे देश के राष्ट्र गान के तत्काल पहले या बाद में बजाया जाता है तो राष्ट्र गान का सामूहिक रूप से गाया जाना अपेक्षित है।

V - सामान्य

1. जब कभी राष्ट्र गान का गायन अथवा वादन हो तब श्रोतागण सावधान होकर खड़े रहें। किन्तु जब समाचार दर्शन अथवा वृत्त चित्र के दौरान राष्ट्र गान फिल्म के अंश के रूप में बजाया जाता है तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती क्योंकि खड़े होने से राष्ट्र गान के गौरव में वृद्धि होने की अपेक्षा फिल्म के प्रदर्शन मे बाधा पड़ती है और अशांति तथा गड़बड़ उत्पन्न होती है।

2 राष्ट्रीय ध्वज के फहराए जाने की तरह यह भी लोगों के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वे राष्ट्र गान को मनमाने ढंग से न गाएं-बजाएं।

गृह मंत्रालय
पब्लिक अनुभाग